उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-160/2026/794के-2/22-3-25-17(1387)/23

लखनऊ : दिनांक: 15 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भूरा (बन्दी संख्या-48115) पुत्र श्री बुद्धा तेली, निवासी ग्राम-सदरपुर, थाना-छजलेट, जनपद-मुरादाबाद, मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 27-06-2017 द्वारा (1) सत्र परीक्षण संख्या-841/2013 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में आजीवन करावास तथा (2) सत्र परीक्षण संख्या-842/2013 के अन्तर्गत आयुध अधिनियम की धारा-25 में 02 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 05-01-2025 तक भोगी गई 11 वर्ष, 07 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा, जेल रिपोर्ट के अनुसार आयु 77 वर्ष, 05 माह, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, बंदी द्वारा भोगी गई सजा, संतोषजनक जेल आचरण एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in